

उसके कारण कर्मचारियों का बढ़ा हुआ वेतन हर मास बाकी रख लिया जाता है। इस मद में अब तक कर्मचारियों के करीब 3 लाख रुपये बाकी पड़ चुके हैं। दूसरी ओर पालेकर एवार्ड लागू करने के नाम पर प्रबन्धकों ने बहुत से कर्मचारियों को गलत तरीके से पदोन्नत कर उन्हें वरिष्ठ सहायियों के सर पर बिठा दिया है।

इसके अलावा कर्मचारियों के वेतन से भीटी गई भविष्य निधि की राशि अक्टूबर, 1981 से जमा नहीं की गई है। प्रबन्धकों ने भविष्य निधि में अपना हिस्सा अप्रैल, 1980 से जमा नहीं किया है। इसी प्रकार कर्मचारी बीमा बोमा (ई० एल० आई०) की राशि भी लम्बे अर्से से जमा नहीं हुई है, जिसके कारण कर्मचारियों के परिवार चिकित्सा सेवा पाने से वंचित हो रहे हैं।

प्रबन्धकों ने 1979-80 का बोनस भुगतान करने के बजाय कर्मचारियों की इच्छा के विरुद्ध एक वर्ष के लिए जमा रख लिया है। इसी प्रकार 1980-81 के बोनस का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। सब से चिन्ता का विषय यह है कि पत्रकार कर्मचारियों को जनवरी, 1982 से और गैर-पत्रकार कर्मचारियों को फरवरी 1982 से वेतन अभी तक नहीं मिला है। 3-4 महीने के बाद वेतन देने की प्रक्रिया गत दो वर्षों से चल रही है।

वित्तीय संकट का बहाना बना कर वेतनादि भुगतान बन्द कर दिया है जिसके कारण कर्मचारियों ने मजबूर हो कर 16 अप्रैल से अनिनिश्चित कालीन हड़ताल करने का निश्चय किया है। सरकार ने संस्था की सहायता के मद में काफी रुपये दिये। फिर भी प्रबन्धक संस्था को स्वावलम्बी बनाने में विफल रहे। प्रबन्धक समिति के भाषाई संवाद समितियों का एकीकरण

कर उसे स्वाशासी निगम में रूपान्तरित किया जाय।

मैं श्रम मंत्री से निवेदन करता हूँ कि कर्मचारियों का बकाया वेतन और बोनस शीघ्र भुगतान कराने हेतु वागदानी कार्यवाही प्रारम्भ करें एवं भविष्य निधि और कर्मचारी बीमा राशि को वसूली के लिए सख्त कार्यवाही करें।

4.35 hrs.

DEMANDS FOR GRANTS, 1982-83..
contd.

Ministries of Agriculture and Rural Development—contd.

MR. DEPUTY-SPEAKER: We taken up further discussion and voting on the Demands for Grants under the control of the Ministry of Agriculture and Rural Development. Mr. Ram Verma, you may continue your speech. You will conclude your speech by about 2.45. Then the hon. Minister will intervene. You can take about 10 minutes.

श्री जय राम वर्मा (फैजाबाद) : श्रीमन्, मैं कह रहा था कि हमारे जिले के पूर्वी हिस्से अकबरपुर में एक कोऑपरेटिव सैक्टर में गन्ना मिल की स्थापना का लाइसेंस कांग्रेस सरकार ने दिया था जिसे जनता सरकार ने कैंसिल कर दिया था। हमारा जिला उत्तर प्रदेश के 7 सबसे पिछड़े हुये जिलों में एक है और पूर्वी हिस्से का गन्ना रत्ना शुगर मिल को अलॉट होता है जो लिंग मिल है, और इस साल काफी परेशानी हो रही है, किसानों का गन्ना बिल्कुल नहीं पैरा जा सका क्योंकि वह मिल अक्षर बन्द रहती है। इस उत्पादकता वर्ष में कांग्रेस सरकार इन बातों का ख्याल रख कर के उस गन्ना मिल का लाइसेंस

[श्री जय राम वर्मा]

फिर से मंजूर कर दे और उस केस को नया केस न माने, बल्कि पुराना केस समझ कर के कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये। ताकि किसानों की कठिनाई गन्ना की पेराई के मामले में दूर हो सके।

इसके अतिरिक्त पूर्वी उत्तर प्रदेश की एक दूसरी समस्या की ओर मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूँ, और वह यह है कि हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में छोटे और मझोले किसान धान का धान की शक्ल में कम बेचते हैं। उसका सेला चावल बना कर बेचते हैं। इधर सरकार ने सेला चावल में व्यापारियों को व्यापार करने का लाइसेंस खत्म कर दिया है, वापस ले लिया है। परिणाम यह है कि गल्ला व्यापारी सेला चावल खुले नहीं खरीदते जिससे किसान मजबूर हो कर किसी को बेचता है और सारा सेला चावल ब्लैक मार्केट में चला गया है। एक बात और होती थी, वहाँ पर हलर का लाइसेंस रहता था जिस किसान को अपना सेला चावल बनाने में हलर की मदद मिलती थी, और ट्रेडीशनल तरीके से भी बनाते थे अपने घर में। हलर से बनाने पर सरकार को कुछ लेवी मिल जाती थी। लेकिन हलर का लाइसेंस समाप्त कर दिया गया। गल्ला व्यापारियों को सेला चावल में डील करने का लाइसेंस नहीं है, यद्यपि यह बिहार में है, जिससे हमारे उत्तर प्रदेश के छोटे और मझोले किसान काफी परेशानी में हैं। मुझे मंत्री जी से यह प्रार्थना करनी है कि वह स्टेट गवर्नमेंट को आदेश दें कि इस तरह का उनका जो लाइसेंस समाप्त कर दिया गया है, वह फिर जारी किया जाय ताकि गल्ला व्यापारी उसमें डील कर सकें, और हलर का लाइसेंस फिर से दिया जाये ताकि किसानों को सेला चावल बनाने में आसानी हो।

इस छोटी पंचवर्षीय योजना में सरकार ने गरीबी को दूर करने के लिये एक लक्ष्य बनाया है। 1979-80 के अन्त में गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या 48.44 परसेंट थी। इस पंचवर्षीय योजना में यह लक्ष्य है कि इसको कम कर के 30 प्रतिशत तक लाया जाय। इसमें से 9.51 परसेंट तो पैदावार बढ़ाकर कम करने का लक्ष्य है और गरीबों, छोटे किसानों, सीमांत किसानों और मजदूरी करने वालों की गरीबी को कम करने के लिये जो अलग व्यवस्था की गई है उसके द्वारा जो विभिन्न योजनाएँ चलाई गई हैं, उनके द्वारा 8.93 परसेंट कम करने का लक्ष्य है। इस तरह से गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या 30 प्रतिशत हो जायगी।

मेरा कहना यह है कि यह वर्ष ऐसा हो जिसमें यह जो लक्ष्य रखा गया है, वह पूरा हो। यह लक्ष्य लक्ष्य ही न रह जाय और इस पर तत्परता दिखाने की जरूरत है ताकि उत्पादकता बढ़ सके, ज्यादा पैदावार हो सके। किसानों को ज्यादा प्रोत्साहन देने की जरूरत है, हर वक्त यह देखने की जरूरत है कि वह किसी तरह अपनी पैदावार बढ़ाने में निरुत्साहित न हो जाय। गांव के मुधार के लिये सीमांत छोटे किसानों और खेतों में मजदूरी करने वालों के लिये जो विशेष योजनाएँ चलाई गई हैं, उनको इस तरह से चलाया जाये कि सचमुच में उनका लाभ हो सके, जैसे एकीकृत ग्राम विकास योजना है जिसमें 190 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार देगी, 190 करोड़ स्टेट देगी इस तरह से काफी रुपया खर्च होगा इस तरह से राष्ट्रीय ग्राम रोजगार योजना है, उसमें भी उतना ही खर्चा होगा। इस तरह से स्पेशल कम्पैन्सेशन प्लान है, मिनिमम नीडज प्रोग्राम है, हरिजनों के लिये और कई स्कीमें हैं, इनको चलाने वाले ब्लाक

के अधिकारी होते हैं और गरीबों के प्रति जो हमदर्दी होनी चाहिये वह उनकी नहीं होती है। परिणाम यह होता है कि सरकार का पैसा बहुत खर्च होता है उससे उनका लाभ नहीं होता है। जब तक विशेष ध्यान उनकी तरफ न दिया जायेगा, जो रुपया खर्च गया, जो योजनाएँ हैं, उसका पूरा इस्तेमाल न हो सकेगा। जब तक लापरवाही होगी, उसका पूरा उपयोग नहीं होगा, या तो खर्च ही नहीं होगा, अगर होगा तो इधर उधर के लोग खा जायेंगे और जो लाभ उठाने वाले हैं, को लाभ नहीं मिल सकेगा।

इस बात को जरूरत है कि प्रदेश सरकारों को सख्त हिदायत दी जाये कि इन तरह की जो योजनाएँ गरीबों, छोटे किसानों, सीमांत किसानों के लिये चलाई जा रही हैं, उनका अच्छी तरह से देखा जाये। जिले के अधिकारी उनका ध्यान रखें, सिर्फ ब्लॉक के अधिकारी ही जिम्मेदार न रहें, दूसरों की जिम्मेदारियाँ भी हों तो काम अच्छा चल सकेगा और गरीबों की रेखा को नाँचे लाने का लक्ष्य पूरा हो सकेगा नहीं तो यह लक्ष्य सिर्फ लक्ष्य ही रह जायगा, उसका काम पूरा होने वाला नहीं है।

इसका जो मैंने कहा है, इसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि केन्द्रीय सरकार उनकी तरफ अच्छी तरह ध्यान नहीं दे रही है, या कुछ विभाग मुस्तैदों से काम नहीं कर रहे हैं? मैं तो शुरू में ही मंत्रा जो और उनके सहयोगी मंत्रियों को बधाई दी थी विभाग के सकल संचालन के लिये और वह बात अनोखी जगह सही है और 79-80 में विरासत में जो उस वक्त खराब स्थिति मंत्री जो को मिली थी, उस वक्त खेती की हालत बहुत खराब हो गई थी,

पैदावार बहुत घट गई थी। खाद्यान्न की पैदावार घट कर 1097 लाख टन हो गई थी और गन्ने की पैदावार घट

कर 1290 लाख टन हो गई थी। पैदावार की हालत बड़ी खराब थी। किसानों का मनोबल टूट गया था, क्योंकि उनकी चीजों का मुनासिब दाम नहीं मिला, या जो आर्डर दिए गए, उनका कार्यान्वयन नहीं हुआ। यह खराब स्थिति विरासत में मिली थी और उसमें सुधार करना था। उस वक्त जिस मुस्तैदों से काम किया गया मैं उसकी सराहना करना चाहूँगा। किसानों की हालत को सुधारने के लिए जो तरह तरह के उपाय किए गए, उनके परिणाम अच्छे हुए। 1979 में जो सूखा था, 1980 के शुरू में उसका दबाव बराबर जारी रहा। इसका परिणाम यह हुआ कि उस सारे रकबे में बुवाई नहीं हो सकी, जिसमें 1978-79 में हुई थी, जिस की पैदावार से लोग 1980-81 की पैदावार का मुकाबला करना चाहते हैं।

फर्टिलाइजर का दाम बहुत बढ़ गया था, उसका असर पड़ रहा था। सरकार की तरफ से दुष्परिणाम रोकने के लिए जो उपाय किए गए उनमें एक यह था कि किसानों को प्रामाणिक चीज ज्यादा बाँटे गए। 1979-80 में 14 लाख क्विंटल बीज बाँटे गए थे, जबकि 1980-81 में 25 लाख क्विंटल बाँटे गए। फर्टिलाइजर के दाम बढ़ने का ज्यादा बुरा प्रभाव न पड़े, उसके लिए यह उपाय किया गया कि जहाँ पहले फर्टिलाइजर को सरकारी खर्च पर रेल तक भेजा जाता था, अब उसे ब्लॉक के हैड क्वार्टर तक भेजा जाने लगा। इसके अलावा 1979-80 में राज्य सरकारों को अल्पकालिक ऋण के लिए रूप 136 करोड़ रुपया दिया गया था, 1980-81 में उसे बढ़कर 200 करोड़ रुपया कर दिया गया। इन तथा अन्य उपायों तथा का असर अन्य यह हुआ कि पैदावार अच्छी हुई।

(श्री जय राम वर्मा)

यह मानना पड़ेगा कि यद्यपि 1978-80 के मुकाबले में पैदावार काफी अच्छी है, लेकिन 1978-79 के मुकाबले में, जो कि सब से अच्छे मौसम का साल था, पैदावार जरूर कम हुई, क्योंकि उतने रकबे में बुवाई नहीं हो सकी, जिसमें 1978-79 में हुई थी। लेकिन हर चीज काफी हैक्टेयर पैदावार 1978-79 के मुकाबले में 1980-81 में ज्यादा हुई है। गेहूं की कुल पैदावार भी ज्यादा हुई। 1981-82 में तो पैदावार और बढ़ी है।

गेहूं, धान और मक्का आदि की पैदावार बढ़ाने के लिए तो काफी प्रयास हुआ। हमारे वैज्ञानिकों ने काफी खोज की और हर परिस्थिति के लिए उन्होंने बीज निकाले। लेकिन एक बात का दुख है कि तिलहन और दलहन के मामले में वह सुधार नहीं हो पाया और न खोज हो पाई। उनकी नई किस्में निकालने में भी सफलता नहीं मिल पाई। परिणाम यह है कि हमारी आवश्यकताओं से बहुत कम पैदावार हो पाई है। जहां तक दलहन का सम्बन्ध है, 95 ग्राम फी आदमी के हिसाब से हमारे देश में 170 से 180 लाख टन के बीच में दालों की जरूरत है। लेकिन इस साल उनकी पैदावार 120-125 लाख टन के भीतर होगी और अगले साल वह 135 लाख टन हो सकती है, जो कि हमारी आवश्यकताओं को देखते हुए बहुत कम है। इस तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हमारे देश में सर्व-साधारण के लिए और जो शाकाहारी हैं, विशेष रूप से उनके लिए दालों का खाना बहुत जरूरी है। दालें उनके लिए प्रोटीन का मुख्य स्रोत हैं। इस लिए यह कोशिश करनी चाहिए कि दालों की पैदावार ज्यादा हो।

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am calling the next Member, Mr. P.V.G. Raju, and then the Minister will intervene.

SHRI P. V. G. RAJU (Bobbili): When we discuss agriculture, we are discussing the life and habits of one-sixth of the world's population, because 500 million of our countrymen—out of a total population of 675 million—are agriculturists. These 500 million constitute one-sixth of the world population. This factor must be fully understood by all of us, because this proportion is not a small matter.

One-sixth is really symbolic. In occult science, one-sixth is a very auspicious thing. It is supposed to be a very lucky number. But I have to say that one-sixth of the world's population is facing a great deal of difficulty in the matter of its survival in our country.

I am not an agricultural scientist, and, therefore; I can only make a general speech. But I feel we must have greater direction for agriculture from the Centre than what we have to-day because Agriculture is a State subject. I am afraid the direction given by each one of our States is not very effective. Each State has its own direction.

As things stand to-day casteism has become rampant in every state, and therefore, there is no equality in land distribution or agricultural production. Therefore, I feel that we should have greatest Central direction on agriculture.

I would say that the Food Corporation of India fixes the prices of wheat, barley, jowar and other cereal products. But in sense, the peasants are not satisfied with the fixation of prices made by the Food Corporation.

This morning we saw an example of how friends in the wheat-growing belt of India were objecting to the prices of wheat fixed by the Food Corporation. They say that the sale price of wheat in Delhi and urban areas is higher than the return for the peasantry producing wheat. This is the problem, not only with regard to wheat production. Even in the matter of rice production, it is so, I come from Andhra Pradesh which is basically a rice-producing State, and the peasants who produce rice feel that the fixation of paddy price by Food Corporation is very low.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRIES OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT (SHRI R. V. SWAMINATHAN): I would like to correct the hon. Member: it is not the Food Corporation, but it is the Agricultural Prices Commission which fixes the prices.

SHRI P. V. G. RAJU: It is by the Agricultural Prices Commission? It is all right. I am subject to correction by old friend. We were working together in the Madras Assembly in 1952.

The prices fixed by the Agricultural Prices Commission, and the prices obtained by peasants are much less than the sale prices that are there in the open market. In a socialist State, there must be more direction with regard to the sale prices of cereals and vegetable products than in the open market. So, I would suggest that a greater emphasis should be given for sale cooperatives.

The farmers should be encouraged to have sale cooperatives just as we have production of the sugar factory in Maharashtra in the cooperative sector. In similar manner, we should have sale cooperatives for farmers for their products. In this matter, I would like to congratulate my hon. friend from Maharashtra. The cooperative sugar factory in Maharashtra is one of the best in India. As a

matter of fact, I do not know how many friends are aware that the sugar cooperatives give much inputs to the farmers: that sugar cane production in Maharashtra is 45 tonnes per acre, and in Bihar and Uttar Pradesh, even if we go upto 16, 17 or 18 tonnes a year of sugar cane, it would be a very big output of sugar cane per annum. The difference between Maharashtra cooperatives and the sugar factory in Uttar Pradesh and Bihar is that in Uttar Pradesh and Bihar the sugar factories are owned by the capitalist sections, private enterprise. Therefore, private enterprise is not encouraging the farmers as the cooperatives in Maharashtra are doing. I must congratulate the Maharashtra friends for having cooperatives in such a first-class fashion. I would also appeal to my friends in Maharashtra to have more cooperatives not only in the case of sugar cane but in other agricultural products of India for cooperative sectors must be developed.

If you remember, I started by saying that Agriculture is the problem of India and rates is the problem of agriculturist because it is a State subject. Therefore, I would like the Central Government to have greater direction on agriculture than it has at the moment. Friends may say how can one define the area of a sugar factory. From my limited awareness of the problem, a sugar factory with 1,500 tonnes per hour production rate, which is the standard daily production rate, has an area of 120 sq. miles. But I am afraid, in the enforcement of this type of concept of area for the sugar factory, friends would turn out and say that this is the communistic concept, not socialistic concept. I do not mind becoming a communist for the benefit of the peasants. I would approve of communism, as far as structure for the benefit of the peasants is concerned. In this matter, I would like to say that in India we have not yet developed the concept of animal husbandry as we should. In Europe and America, animal husbandry is a very

(Shri P. V. G. Raju)

big industry. In India, we not give priority to animal husbandry as much as we should. I feel the Government of India should encourage the State Governments to give the priority to animal husbandry.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Your friend is incharge of animal husbandry. So, you can tell him all your views separately also. I would say, my information is that in Europe and in America, pig farming and poultry farming are given priority. In India poultry farming is not developed and is not given as much priority as it should be. The taxation structure under which my poultry farming friends are affected seems to be deleterious to the industry. As a matter of fact, there is a feeling that they are taxed more than they should be. I started a small poultry unit myself. And I was told that the fixation of the egg prices was not correct. My friends told me that I was making more return per day than I was really making. And, therefore, they said that I was trying to disburse black money through poultry farming. But that is not correct. Further, I would like to say pig farming, or protection of what is called ham, pork, sausages should be given more encouragement than it has been done so far.

15.01 hrs.

[SHRI HARINATHA MISRA in the Chair]

I was surprised to hear that the State Trading Corporation exports decorticated cotton seed cake, linseed oil cake, castor seed, cake, mustard oil cake and groundnut oil cake. All these items are exported by the State Trading Corporation. They are exported to Europe. Why are they exported to Europe? I made an inquiry. I was told that all these items are used as compounds for feeding poultry and piggery. And I was surprised why we should export our own feed-

ing materials for poultry and pigs instead of using them in our own country. The reason is, very few Indians eat pork, sausages and ham. (Interruptions) Generally, we do not eat pork, as much as we should. Theoretically, the Government of India should encourage the setting up of pig farms in the country. I am sure foreign collaborators will be prepared to come to India and put up a first class pig industry.

I would like to say, that I am not an atheist. I used the word 'atheist'. My friends will say that I am preaching eating of pork in the country. I will go even to the extent of saying that beef eating as it is understood by Indians is not valid. I do not know how many friends are prepared to accept, that it is kinder to a milch cow to kill it with a knife than to starve it to death in Goshala. I say this honestly, that an Indian will rather starve his cow to death than feed it when it does not yield him a calf or milk. The maximum yield expected of an Indian cow is 10 litres per day, and in Switzerland, a Swiss cow gives 35 litres per day. That is the difference between Indian cows and the European cows. And yet, we believe that a cow is good if it gives an yield of 10 litres per day. But when it becomes old an Indian thinks that it should be rather starved to death in Goshala, because his soul will be purified, then to kill it with a knife. I am sorry to say, but I do not agree with this view. It will be kinder to the cow, when it stops giving milk or calves, to kill it with a knife, rather than kill it by starving it. I say this and I do not mind if my friends are angry with me for saying this. But I feel that we should be rational about the question of Goshalas.

I want to make two more points. I have heard that the FAO have asked the Government of India to permit development of international slaughter

house system in India. The protein meat trade is one of the largest in the world. And yet Indian meat is not considered to be fit for consumption anywhere outside India because it is not considered scientific and hygienic. Therefore, the FAO requested the Government of India to permit international inspection of Indian slaughter houses. But we refused to allow for international meat trade inspection because we felt that the freedom to kill animals cannot be subject to international jurisdiction and supervision. I do not understand this way of thinking. I feel that we should allow international supervision of our slaughter houses. I say this consciously because I feel that the world meat trade should be part of Indian development.

Some time back, I met some friends from Japan. They said that they were prepared to have first class pig-gery farming in India but they must be allowed to export meat of hygienic nature from India.

MR. CHAIRMAN: May I request you to conclude because the Minister has to intervene?

SHRI P. V. G. RAJU: All right, Sir. As far as fish farming is concerned, I am afraid, we have not developed it as much as they have done in Japan. For instance, in flowing water we can have there fish per cubic foot area. According to the Japanese, they keep 15 fish in 6.50 cubic feet area per year, which produce 13,500 grams of fish.

My friends might have gone to Haridwar—I myself have gone to Haridwar—and taken bath in a ghat where in fast flowing water, big fish mingle between the legs of bathing religious persons. In Japan they keep water flowing all the time. But I am afraid, we have not development this concept of fish farming here.

SHRI R. V. SWAMINATHAN: In many parts of the country, it has been done.

SHRI P. V. G. RAJU: You please tell me the place. I will go there and see it myself.

MR. CHAIRMAN: I can assure you of the fact that of all the Members present here, Mr. Daga will appreciate your suggestion most.

SHRI P. V. RAJU: I hope that our agriculture will have a central-oriented direction and that this will be accepted by the House and by the Government.

श्री रणजीत सिंह (चतरा) : अध्यक्ष महोदय मैं कृषि की मांगों का समर्थन करता हूँ साथ ही साथ मेरा यह कहना है कि भारतवर्ष एक खेती प्रधान देश है। जहाँ 80 प्रतिशत लोग खेती करते हैं। हिन्दुस्तान की जनता का अधिक समय खेती करने में लगता है। इससे जो आमदनी होती है उस से हमारे देश की जनता अपना भरण-पोषण करती है। लेकिन यह अफसोस की बात है कि हमारे देश में बहुत सी जमीन अभी भी बंजर पड़ी हुई है और उस जमीन का कोई प्रयोग नहीं हो रहा है। इसका कारण यह है कि जहाँ हमारी सरकार उसके बारे में अच्छी तरह से ध्यान देती है वहाँ उसके आफिसर्स लोग उसके बारे में पूरी तरह से ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए वह जमीन नग्लेक्टेड रहती है।

अध्यक्ष महोदय, समय पर खाद न मिलने से, पानी न मिलने से, बीजों की उचित व्यवस्था न होने से, हमारे किसानों को आधुनिक औजारों से सुसज्जित नहीं करने से यह नहीं हो पा रहा है। यही कारण है जिस से कि देश में खेती वाली जमीन अच्छी तरह से उर्वरा नहीं

[श्री रणजीत सिंह]

हो पा रही है। इसलिए मेरा निवेदन है कि हमारे मंत्रीगण विशेषकर हमारे कृषि मंत्री जी उचित समय पर खाद इरीगेशन की व्यवस्था करावें।

हमारे देश में बहुत सी पहाड़ी जमीन है, ऊंची नीची जमीन है। इस ऊंची-नीची जमीन को शीघ्र समतल कराने की व्यवस्था करानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, किसानों के लिए एक ऐसा कारपोरेशन बनना चाहिए जो किसान की उपज की हुई वस्तुओं की उचित मूल्य पर बिक्री का प्रबन्ध करे और उन वस्तुओं का कारपोरेशन द्वारा उचित मूल्य भी फिक्स किया जाए। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक ऐसी व्यवस्था नहीं हो पायी है।

अध्यक्ष महोदय, एक इरीगेशन का मामला है। यह एक ऐसा मामला है जिसके बिना खेती की नहीं जा सकती है। बड़ी बड़ी इरीगेशन की स्कीमें बनती हैं लेकिन वाटर कमीशन के लोग जिनके पास कि सब स्कीमें आती हैं, वे उन में इतनी देर लगा देते हैं कि जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। ऐसी स्कीमों के बारे में मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। हमारे बिहार के चतरा एरिया—जो कि एक पहाड़ी क्षेत्र है—में कोई भी इरीगेशन की स्कीम नहीं चल रही है। 1974 में इरीगेशन की एक स्कीम मोहाने रिजरवायर वाटर कमीशन के पास आयी थी। लेकिन वाटर कमीशन वालों ने 1974 से लेकर आज तक उस स्कीम को एडवांस्ड नहीं किया। उसी तरह से पलामू क्षेत्र की अमानत रिबर डेम की एक स्कीम बनायी गयी।

उस पर वाटर कमीशन के लोग कभी इंकवायरी करते हैं और उसके बारे में कभी बिहार सरकार जबाब नहीं देती है। 10-15 वर्ष से वह इसी तरह से चल रही है। हमारे देश में इरीगेशन की समस्या तब हल हो सकती है जब कि हमारे मंत्रीगण अपने अफसरों पर निर्भर रह कर अपना माइण्ड सप्लाइ करें। अगर इन अफसरों पर स्कीमों को छोड़ दिया जाए तो हिन्दुस्तान में कोई भी स्कीम पूरी नहीं हो सकती है।

ऐसा देखने में आता है कि अफसर-साही के चलते 20-20 वर्ष किसी स्कीम के पूरा होने में लग जाते हैं। इसी के चलते देश में अकाल पड़ता है। हमारे क्षेत्र में लगातार अकाल पड़ता रहता है। हमने और हमारे से पहले जो वहां के संसद् सदस्य थे उन्होंने भी यही स्पीच दी थी जो मैं आज दे रहा हूँ। शायद सरकार की तरफ से उसका जवाब भी वही आयेगा, जैसा कि पहले आया था, ऐसी मुझे उम्मीद है। यही जवाब आता है कि हम लोग वाटर कमीशन के लोगों को बुलवा रहे हैं, बिहार के इंजीनियरों को बुलवा रहे हैं और बुलाने के बाद इस स्कीम को पूरा करने जा रहे हैं लेकिन इस बीच में कितने लोग मर रहे हैं, आदमी तो क्या जानवरों को पीने के लिए पानी नहीं है। किस तरह से वहां पर कृषि में उन्नति हो सकती है। किस तरह से किसान सुखी रह सकता है।

इसी प्रकार से वाटर कमीशन के अफसरों के साथ-साथ लेकर इंस्टीट्यूट्स के अतिथिकारियों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। प्रत्येक क्षेत्र में भूमि परीक्षण के संबंध में इंस्टीट्यूट्स कायम किए जाने चाहिए। रांची में लेकर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर राजनीति में व्यस्त रहते हैं।

सारा काम बिगाड़ कर रखा हुआ है। कई बार शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाही नहीं की गई। हमेशा बाहर रहते हैं और एलाउंस बनाते रहते हैं। इस तरह के अफसर जब तक रहेंगे, छोटा नागपुर का कल्याण नहीं हो सकता है। इसकी जांच होनी चाहिए कि किस तरह से वहां पर काम किया गया है।

जानवरों को पालने के लिए बहुत बड़ी एक स्कीम बनाई गई थी कि छोटे-छोटे किसानों को जानवर दिए जायेंगे, लेकिन यह स्कीम इस तरह से प्रोसीजर में उलझी है कि इसका लाभ किसानों को नहीं हुआ है। पहले प्रार्थनापत्र ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर के पास जाता है, उसके बाद बैंक में जाता है, तब ऋण मिलने का संभावना होती है। मैंने देखा है कि एक-एक वर्ष तक ब्लाक में ही प्रार्थनापत्र पड़े रहते हैं और इस प्रकार ऋण मिलने में 2-2 साल तक लग जाते हैं। इस तरह से किसानों की भलाई नहीं हो सकती।

इसी प्रकार से खाद भी आज चाहिए तो 2-4 महीने बाद किसानों तक पहुंच पाता है। जमीन के समतलीकरण के बारे में भी अभी बहुत कुछ करना बाकी है।

नये बीस सूत्री कार्यक्रम में इरीगेशन पर बहुत जोर दिया गया है। पहला आइटम इसको रखा गया है, लेकिन इरीगेशन की सभी योजनायें खटाई में पड़ी हुई हैं। इस तरह से हमारे देश में बिना इरीगेशन के कृषि की उन्नति नहीं हो सकती है। पटवन के बिना खेती नहीं हो सकती, बिना औजारों के खेती नहीं हो सकती, बिना खाद के नहीं हो सकती। किसानों की ओर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए।

हमारी सरकार ने काफी प्रोग्रेसिव रास्ते पर काम किया है। 1982 में करीब 800 लाख मीट्रिक टन खरीफ होने की संभावना है। इसी तरह से गन्ने के उत्पादन में भी प्रगति हुई है। 1980-81 में 774 लाख मीट्रिक टन खरीफ का उत्पादन हुआ था। रबी की फसल भी अच्छी होने की संभावना है। मूंगफली के उत्पादन में भी 20 प्रतिशत वृद्धि की संभावना है।

अगर पटवन का प्रोग्राम अच्छी तरह से चलाया जाता और किसानों को समय पर ऋण दे दिया जाता तो हिन्दुस्तान का नक्शा ही दूसरा होता।

इसी प्रकार एन० आर० पी० और एन० आर० ई० पी० प्रोग्राम के तहत सड़कें और स्कूल बनाने का काम लिया गया था, लेकिन बिहार में हमारे क्षेत्र में इनके अन्तर्गत कोई काम नहीं हुआ है। रुपया जहां का तहां रखा हुआ है और जो खर्च हुआ है उसका 60 प्रतिशत साफ है, केवल नाम के लिए खर्च किया गया है। छोटे रास्ते बनाने के लिए पैसा दिया गया था, मजदूरों को रोजगार देने के लिए पैसा दिया गया था, ये सब काम न होने से कृषि पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। मेरा निवेदन है कि जिन को रुपया दिया गया चाहे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के माध्यम से या ब्लाक डिवेलपमेंट आफिसर के माध्यम से, पूरी छानबीन होनी चाहिए और छानबीन उन अफसरों के माध्यम से न करवा कर पार्लियामेंट की कमेटी बना कर उससे कराई जानी चाहिए। सरकार की इच्छा है कि देहातों में अच्छी सड़कें बनें, तरक्की के काम हों पटवन की व्यवस्था हो, किसानों को आसानी से ऋण मिले लेकिन यह सब कुछ इस वास्ते नहीं हो पाता है कि इन कार्यों की निग-

[श्री रणजीत सिंह]

रानी की अच्छी व्यवस्था नहीं की जाती है। कमेटी बना कर इसकी जांच होनी चाहिए और पता लगाया जाना चाहिए कि उन लोगों ने जो भारत सरकार ने रुपया दिया उसको कहां तक खर्च किया है, कितना किया है और किस हद तक उचित रीति से अच्छे ढंग से किया है और कितना बेकार गया है।

एन० आर० पी० में जो काम होते हैं कच्चे होते हैं। कुछ अफसर लोग सड़क को कागज पर दिखा देते हैं और फिर कहते हैं कि पानी में वह बह गई है। इस तरह अच्छे तरीके से काम नहीं हो पाता है। मेरा निवेदन है कि पक्के काम करने की हिदायतें यहां से दी जानी चाहिए।

इर्रिगेशन का मामला कई बार उठाया जा चुका है। हमारे इलाके में बीस बरस से अकाल पड़ा हुआ है। वाटर कमीशन से मेरा निवेदन है और साथ ही साथ कृषि मंत्री जी से निवेदन है कि वहां के लिए जो इर्रिगेशन की स्कीम्स हैं उनको लागू किया जाना चाहिए ताकि वहां के लोग मुख्ती हो सकें।

जंगल हमारे यहां और बिहार में भी बहुत हैं। लेकिन गैर कानूनी ढंग से उनकी बहुत बेरहमी के साथ कटाई हो रही है। इसी तरह से वह होती रही तो पांच सात साल में कोई जंगल नहीं रह जाएगा। यह जो चोरी छिपे जंगल काटे जाते हैं इसकी निगरानी केन्द्र की तरफ से की जानी चाहिए। सारे काम स्टेट पर ही नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए। मजदूर भी वहां से भाग रहे हैं क्योंकि उनको काम नहीं मिलता है। बड़े बड़े ठेकेदार लोग लकड़ी काट कर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में भेज देते हैं। वे मजदूरों से काम नहीं लेते हैं। वहां कोई इन फारेस्ट्स की निगरानी करने वाला नहीं

है। गरीबों को कोई लाभ नहीं हो रहा है। मैं चाहता हूं कि इस ओर भी आपका ध्यान जाना चाहिए।

हिन्दुस्तान के हर ब्लाक में स्टोर बनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। वहां बीजों आदि को जमा किया जाना चाहिए और लोगों को दिया जाना चाहिए। वहां पर आप खाद रखें चीनी चावल गेहूं आदि राशन का तमाम सामान रखें और लोगों को दें। ये स्टोर हर ब्लाक में होने चाहिए। दूसरे ब्लाकों से यह सामान जब किसी ब्लाक में लाया जाता है तो बड़ी कठिनाई होती है और चोरी होने की सम्भावना रहती है।

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुरद्वार) : हम सब कहते हैं कि अस्सी प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं लेकिन जितने भी डिबलेपमेंट के काम आजादी के बाद हुए हैं सभी शहरों में हुए हैं, वहीं उनको केन्द्रित किया गया है। इस कारण से बड़ी संख्या में देहात पिछड़ते जा रहे हैं, उनकी हालत खराब होती जा रही है। उनके वास्ते आप आवश्यक वस्तुओं की अभी तक भी व्यवस्था नहीं कर पाए हैं। इसका मूल कारण यह है कि कल कारखानों से जो वस्तुएं हमें प्राप्त होती हैं और कृषि से अन्न आदि जो प्राप्त होता है, इन दोनों के बीच में कोई सामंजस्य नहीं है। चूंकि किसान गरीब हैं, निरक्षर हैं, देहातों में रहते हैं, लैवी लगा कर उनके उत्पादन का जबर्दस्ती वसूल कर लिया जाता है और अपनी इच्छा के अनुसार उसके दाम तय कर दिये जाते हैं। आज ही गेहूं के दाम को ले कर बात उठी जो 142 रु० प्रति क्विंटल रखा गया। अगर यह भी ठीक दाम हो तो उसी प्रकार से कल-कारखानों से बनी हुई वस्तुओं के दाम पर भी सरकार कुछ नियंत्रण करे ताकि दामों में सामंजस्य रहे। लेकिन ऐसा नहीं है।

किसान को अपने काम आने वाली कारखाने से बनी हुई चीजें महंगे दाम पर खरीदनी पड़ती हैं। यही वजह है कि उनकी दशा बिगड़ रही है।

इसी तरह में पावर का देखें। शहरों में एयर-कंडीशनिंग के लिए, रंगीन टी० वी० के लिए बिजली मिल रही है, लेकिन खेती के लिए जिस पर जीविका निर्भर करती है, किसान को बिजली नहीं मिलती। खेती के लिए बिजली अधिक जरूरी है। बहुत ज्यादा पानी देने से भी उपज नहीं बढ़ती। कब और कितना पानी देना है यह किसान अच्छी तरह जानता है। उसको जरूरत के वक्त बिजली आसानी से मिल सके, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए।

किसान जो पैदा करता है उसको रखने के लिए शहरों में बने गोदामों तक लाना पड़ता है। लेकिन उसकी देखभाल ठीक से नहीं होती। मेरा सुझाव है कि पंचायत और ब्लॉक लेवल पर ही गोदाम होने चाहिए जहां किसान अपना माल रख सके। चाहे अनाज हो, फल फूल हो, मछली हो, या सब्जी हो, यह माल किसान ठंडे स्थानों में अपनी इच्छानुसार रखे और निकाल सके, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। इससे किसान को काफी राहत मिल सकती है।

दिल्ली में रोज सड़के बनती हैं और तोड़ी जाती हैं। इस रुपये को गांवों में सड़कें बनाने के लिए खर्च किया जाय जहां अभी बैल गाड़ी के लिए भी सड़क नहीं है।

वहां अगर सड़कें हो जाती हैं तो किसान अपना उत्पादन दूर दूर तक ले जा सकता है। गांवों में रहने वालों को भी उन्नति करने का अधिकार है, इसलिए उनके लिए भी सड़कें बननी चाहियें। गांव में जिसके पास पैसा है वह शहर में ही आता है इसलिए कि अगर शिक्षा न हो तो नौकरी नहीं मिलेगी। इसलिए किसानों के लिए ...

सभापति महोदय : आप अपना भाषण सोमवार को करेंगे।

MR. CHAIRMAN: It is now 3.30 P.M. So, we will take up Private Members' Business. Shri T. R. Shamanna to move the motion.

15.30 hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

FORTY-FIRST REPORT

SHRI T. R. SHAMANNA (Bangalore South: Sir, I beg to move.

"That this House do agree with the Forty-First Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 15th April, 1982."

MR. CHAIRMAN : The question is:

"That this House do agree with the Forty-First Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 15th April, 1982."

The motion was adopted